जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0–**24/2020–21**(तड़ीपार)

राज्य –बनाम–अरसद उर्फ मर्दाना

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–1100/डी0सी0बी0, दिनांकः–16.09.2020 द्वारा अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत)की धारा–3(3)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। **इस अपराधकर्मी पर निम्नांकित काण्ड दर्ज है– कुख्यात अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विरूद्ध निम्नलिखित कांड/सनहा दर्ज हैं।** **(1) कदमा थाना काण्ड सं0–158/18,** दिनांक–15.07.2018, धारा–147/148/323/341/504/506/324/325/326/354/307/448/120बी भा0 द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के वादी सददाम खान पे0 स्व0 समसुद्वीन खान, साकिन शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त कमशः 1 अरशद उर्फ मर्दाना, 2. मो0 अफाक दोनों पे0–मो0 अशरफ दोनों साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–2, कदमा, 3. मो0 अशरफ (टेलर)पे0 मो0 अख्तर साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02, 4. शबनम खातुन पति अशरफ (टेलर) साकिन–शास्त्रीनगर रोड नं0–02, 5. आमिर उर्फ चब्बा पे0–बल्लु साकिन–मानगो ओल्ड पुरूलिया रोड अलबेला गार्डेन थाना–आजादनगर, 6. सलमान पे0–चिन्ना साकिन–भालूबासा मुस्लिम बस्ती थाना–सीतारामडेरा 7. मो0 तौकीर पे0– मो0 रेयाज गोरा साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–2 झोपड़ा मस्जिद थाना–कदमा, 8. शिबु पे0– शाहेज अख्तर साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–2, 9. मो0 गुडडन पे0 मकसुद आलम साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–2 थाना–कदमा 10. चुन्न साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–2 सभी जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध नजायज मजमा बनकर हरबे हथियार से लैश होकर घर में घुस कर मारपीट करना एवं गाली–गलौज करना तथा महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ करना तथा पिस्टल से फायर करते हुए पूर्व के कांड को उठाने की धमकी देने के आरोप प्रतिवेदित किया गया है। पर्यवेक्षणोपरान्त यह कांड धारा–147/148/323/341/504/506/324/325/326/354/307/448/120बी भा0 द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1. अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, 2. आमिर उर्फ चब्बा पे0–बल्लु साकिन–मानगो ओल्ड पुरूलिया रोड अलबेला गार्डेन थाना–आजादनगर 3.सलमान पे0–चिन्ना साकिन–भालूबासा मुस्लिम बस्ती थाना–सीतारामडेरा 4. शिबु पे0– शाहेज अख्तर साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–2, 5. मो0 गुडडन पे0 मकसुद आलम साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–2 थाना–कदमा हरदेव सिंह बाड़ी थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध सत्य पाया गया एवं प्रा0अभि0 कमशः 1.मो0 अफाक पे0 मो0 अशरफ 2. मो0 अशरफ पे0 मो0 अख्तर 3.शबनम खातून पति अशरफ साकिन–शास्त्रीनगर रोड नं0–02, कदमा 4.चुन्नु सा0 शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02 करदेव सिंह बाड़ी थाना कदमा, जिला –पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की संलिप्तता नहीं है तथा प्राथमिकी	

अभियुक्त 1.मो0 तौकिर पिता मो0 रेयाज उर्फ गोरा के विरूद्ध ठोस साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना श्रेष्यकर बताया गया है।

इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त 1. अमीर खान उर्फ चब्बा पे0 दिलावर खान साकिन डांगोडीह कपाली 2. मो0 तौकिर पे0–मो0 रेयाज उर्फ गोरा सा0 शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02 झोपड़ी मस्जिद थाना–कदमा जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखते हुए प्राथमिकी अभियुक्त 1.अरसद उर्फ मर्दाना पे0– मो0 असरफ साकिन शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02 कदमा, 2. सोएब अख्तर उर्फ शिबु पे0 सोहेल अख्तर दोनों थाना–कदमा जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–03/19, दिनांक 06.01.19, धारा–147/148/323/341/504/506/324/325/ 326/354/307/448/120बी भा0 द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत समर्पित किया गया है।

2.कदमा थाना काण्ड सं0–119/17, दिनांक 03.06.2017, धारा–147/148/341/ 323/325/307/34 भा0द0वि0 के वादी शेखर प्रसाद पिता चितरंजन प्रसाद साकिन म0नं0 एल–5/85 मेन रोड कदमा फल मार्केट के पीछे कदमा , जमशेदपुर के फर्द ब्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. अरसद उर्फ मर्दाना 2. अमीर गदी उर्फ चरूवा 3.राजा खान उर्फ सरफरोज खान 4.अरवाज खान उर्फ शहवाज खान 5.कैफी खान 6. आतिफ खान उर्फ शटा 7.विजय पांडेय साकिन शास्त्रीनगर एवं 7–8 लड़के अज्ञत के विरूद्ध एकमत होकर मारपीट करने एवं जान मारने के नियत से मारकर जख्मी कर देने के आरोप में कांड प्रतिवेदित किया गया है।

इस कांड में धारा–147/148/341/ 323/325/307/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त कमशः 1. अमीर गदी उर्फ चरूवा 2. कैफी खान 3. आतिफ खान उर्फ शटा एवं अन्य 7–8 लोगों का असत्यापित दिखाते हुए प्रा0अभि0 1.अरसद उर्फ मर्दाना 2.सरफराज खान 3.साहबाज खान 4.विजय कृष्ण पाण्डेय कदमा, जमशेदपुर के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–220/17, दिनांक 30.10.17 अनुसंधानकर्ता के द्वारा सकर्पित किया गया है।

3.बिष्टुपुर थाना कांड सं0–224/18 दिनांक 12.07.2018, धारा–147/149/341/323/307/379 भा0द0वि0 के वादी महताब खान पिता अफताब खान साकिन शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02 थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के लिखित आवेदन के आधार पर 1. अरसद उर्फ मर्दाना, पिता मो0 असरफ साकिन–शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02 थाना–कदमा 2. अमीर उर्फ चदवा पिता डिल्लु साकिन–पुरूलिया रोड अलबेला गार्डेन 3.सलमान पिता–बिना साकिन–भालुबासा थाना–सीमारामडेरा 4. शिबु पे0 सोहल अख्तर सा0 शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0–02 थाना–कदमा जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं अन्य 20–25 लड़के नाजायज मजमा बनाकर लाठी डंडा से जानलेवा हमला करना एवं मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।

पर्यवेक्षणा से यह कांड धारा–147/148/341/ 323/325/307/34 भा0द0वि0 1. अमीर उर्फ चदवा पिता डिल्लु साकिन–पुरूलिया रोड अलबेला गार्डेन 2 शोएब अख्तर उर्फ शिबु पिता सोहेल अख्तर सा0 शास्त्रीनगर कदमा 3.अब्दुल सलमान उर्फ सलमान पिता–अब्दुल शमीम खान उर्फ चिना क्वा0नं0–26 एल 4 थाना–सीतारामडेरा 4.अरसद उर्फ मर्दाना पे0 मोहम्मद ब्लॉक नं0–2, थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध सत्य प्रतीत होती है।

इस कांड में धारा–147/148/341/ 323/325/307/34 भा0द0वि0 1. अमीर खाँ उर्फ चब्बा पिता–दिलावर खाँ सा0 अलबेला गार्डेन 2. शोएब अख्तर उर्फ शिबु पिता सोहेल अख्तर सा0 शास्त्रीनगर कदमा 3.अब्दुल सलमान उर्फ सलमान पिता–अब्दुल शमीम खान उर्फ चिना क्वा0नं0–26 एल 4 थाना–सीतारामडेरा 4.अरसद उर्फ मर्दाना पे0 मोहम्मद ब्लॉक नं0–2, थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–411/18, दिनांक 30.11.2018 को समर्पित किया गया है। एवं 1. कदमा थाना दैनिकी सं0–16/2020, दिनांक

18.08.2020, 2. कदमा थाना दैनिकी सं0–27/2019, दिनांक 21.08.2020 दर्ज है।

उल्लेखनिय है कि अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जो वर्तमान में जेल से जमानत पर मुक्त है। साथ ही ये पूर्व के कांडों में आरोपित भी है। इनकी गतिविधि संदेहास्पद है। ये पुनः किसी घटना में संलिप्त हो सकते है। जिसके कारण विधि–व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न कर आम शांति व्यवस्था भंग कर सकता है। ये अपने साथियों के साथ मिलकर जगह–जगह पर अड्डाबाजी करते है और थाना क्षेत्र में व्यापारियों/उद्योगपतियों एवं दुकानदारों को डराते रहते है। हत्या जैसी घटना करने की धमकी भी लोगों को देते रहते है, एवं भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम देने की काफी संभावना है, जिससे लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशांति प्रभावित हो सकती है, जिससे व्यापारियों/उद्योगपतियों एवं दुकानदारों के साथ–साथ आम जनता में भी काफी भय का माहौल बना हुआ है एवं इस संबंध में इनके दहशत से कोई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बोलने को तैयार नही है। ऐसी परिस्थिति में इनके विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002(अंगीकृत) की धारा–3(3)(a) Jharkhand control of crime Act 2002 के अन्तर्गत जिला निष्कासन की कार्रवाई करने पर आम लोगो का मनोबल के साथ–साथ आपराधिक घटनाओ में भी कमी आयेगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा, जो कि शहर में लोकशांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्व होगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक के तड़ीपार प्रस्ताव में इसके विरूद्ध में 1) कदमा थाना काण्ड सं0–158/18, दिनांक–15.07.2018, धारा–147/148/323/341/504/506/324/325/326/354/307/448/120बी भा0 द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट 2. कदमा थाना काण्ड सं0–119/17, दिनांक 03.06.2017, धारा–147/148/341/323/325/307/34 भा0द0वि0 3. बिष्टुपुर थाना कांड सं0–224/18 दिनांक 12.07.2018, धारा–147/149/341/323/307/379 भा0द0वि0 एवं 1.कदमा थाना दैनिकी सं0–16/2020, दिनांक 18.08.2020, 2. कदमा थाना दैनिकी सं0–27/2019, दिनांक 21.08.2020 आरोप पत्र दर्ज है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।

तथाकथित अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी द्वारा लिखित ब्यान प्रस्तुत किया गया है।

तथाकथित कुख्यात अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना के विरूद्ध दर्ज कांड/सनहा को अवलोकन किया गया। अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में आधारहीन, बेबुनियाद एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। इनके द्वारा कारित अपराध भा0द0सं0 के चैप्टर XVI एवं चैप्टर XVII की श्रेणी के हैं जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 2(d) के तहत् इनके असामाजिक तत्व होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त हत्या जैसी घटना करने की धमकी देना इत्यादि जैसे जघन्य अपराध शामिल है, एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित तथाकथित कुख्यात अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(3)(a)

में अंकित प्रावधानों के आलोक में तथाकथित कुख्यात अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को दिनांकः–**01.10.2021** से अगले तीन माह अर्थात दिनांकः–**31.12.2021** तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surity) दिनांकः–**30.09.2021** तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांकः–**01.10.2021** से अगले तीन माह अर्थात दिनांकः–**31.12.2021** तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी अरसद उर्फ मर्दाना के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी अरसद उर्फ मर्दाना झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति अपराधकर्मी अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय। साथ ही इस आदेश की प्रति आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)

ह०/–

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ह०/–

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः–1732(B)/विधि, दिनांकः–18/9/2021

प्रतिलिपिः–अरसद उर्फ मर्दाना, पे0–असरफ, साकिन–शास्त्रीनगर, रोड नं0–02, कदमा थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को एतद संबंधी सूचना से अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चत कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः–आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2023.01.25 12:27:06 +05:30
Location: 192.168.1.15